आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत लक्ष्मण साय के पक्ष में शंकरनाथ शाहदेव के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में बिहर भू–दान यज्ञ कमिटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत हैः–

खतियान की स्थितिः– मौजा जलंगा, थाना नं0 51 के सर्वे खतियान में खाता सं0 82, प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 किस्म जंगल नाला दर्ज है।

पंजी ii की स्थिति :– मांग पंजी ii पृष्ट सं0 163 में दर्ज जमाबंदी रैयत लक्ष्मण साय के नाम से खाता सं0 82 प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है,

भूमि का वर्तमान स्वरूपः– जंगल है।

दखल कब्जा कि स्थितिः–जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 48 प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।

स्थल जॉचः– जमाबंदी रैयत मौजा जलंगा में रहते हैं। तथा खाता नं0 48 प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।
जमाबंदी रैयत के पक्ष में शंकरनाथ सहदेव उपस्थिति हुए।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रैयत मौजा जलंगा में रहते हैं। रैयत सुयोग्य श्रेणी में नही आते हैं। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के पृष्ट सं0 163 में दर्ज खाता सं0 82 प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 एकड गैरमजुरूआ खास जंगल नाला दर्ज होने एवं जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा जलंगा थाना नं0 51, खाता सं0 82 प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 एकड भूमि को उक्त कारणों के आधार पर ~~अवैध~~ जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।
लेखापित संशोधित।

29/10/2020

अंचल अधिकारी
कर्रा।

29/10/2020

अंचल अधिकारी
कर्रा।